रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –7 ● कानपुर 1 से 15 अप्रैल 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य –₹100

चिकित्सा महानिदेशक द्वारा

क्रियान्वयन का आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में किसी भी विधा से चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए चिकित्सक के लिए आवश्यक है कि चिकित्सक अपना पंजीयन अपनी परिषद में कराने के साथ–साथ जहां वह प्रैक्टिस कर रहा है उस जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत करना है, आवेदन प्राप्त होने के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी अपने विवेकानुसार जनपद स्तरीय पंजीयन संख्या आवंटित कर सकता है, इस प्रक्रिया से गुज़रने के बाद ही कोई चिकित्सक वैधानिक रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अर्ह होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो कि पिछले कई वर्षों से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रही थी परन्तु 21 जून, 2011 को भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आदेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति प्रदान की, आपको यह बताना उचित होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी वैधानिक स्थिति पाने के लिए लम्बे समय से संघर्ष कर रही थी।

वैधानिकता पाने की लालसा में तरह–तरह के आन्दोलन किये गये और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपनी स्थिति सिद्ध करने के लिए कई बार परीक्षा भी देनी पड़ी और कसौटी पर अपनी क्षमता का प्रर्दशन भी करना पड़ा। इन सब का परिणाम यह हुआ कि एक वाद माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में योजित किया गया लम्बी सुनवाई के बाद 18 नवम्बर, 1998 को एक आदेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून बनाने को केन्द्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया, किसी भी राज्य सरकार ने इस आदेश को क्रियान्वित करने में रूचि नहीं दिखायी बल्कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने से सम्बन्धित एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक समिति का गठन कर दिया गया। इस समिति ने कई पहलुओं पर गम्भीर चिन्तन करने के बाद 25 नवम्बर, 2003 को एक आदेश जारी किया, वैसे तो यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोगों ने इस आदेश का गलत अर्थ निकाला और इतनी गलत व्याख्या कर दी जिसके कारण पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अघोषित बन्दी स्वतः हो गयी अपने द्वारा लिये गये बन्दी के निर्णय2 पर सरकारों ने भी अपनी सहमति की मुहर लगा दी।

पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथ अजीब सी परिस्थिति का सामना करने लगे तभी उत्तर प्रदेश में झोलाछाप चिकित्सकों का मामला तेज़ी से उछला कि प्रदेश से झोलाछापी खत्म करने के लिए एक मुकदमा जिसकी संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0वर्मा मुख्य सचिव,उ0प्र0 योजित हुआ इस मुकदमे में तत्काल एक आदेश आया कि प्रदेश में झोलाछापी खत्म करने का एक ही उपाय है, वह यह है कि जो चिकित्सा प्रदान प्रदाता संस्थायें हैं वह अपने पंजीयन का आवेदन उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा विभाग में करें और जो चिकित्सक हैं वह अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में करायें यह मुकदमा अभी तक चल रहा है इसलिए जो निर्देश न्यायालय द्वारा वर्ष 2004 में दिये गये थे वह अभी भी प्रभावी हैं।

चूँकि जब यह आदेश आया था उस समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति डांवांडोल जैसी थी, लेकिन जैसे ही 5–5–2010 का स्पष्टीकरण और 21 जून, 2011 का आदेश आया इन आदेशों के आते ही पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति बदल गयी चूंकि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने 820/2002 के अनुपालन में अपने पंजीयन का आवेदन शासन को 20 मार्च, 2004 को प्रेषित कर दिया था जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया था लेकिन 25 नवम्बर, 2003 के आदेश के गलत व्याख्यित होने के कारण उपजी परिस्थितियों के कारण यह पंजीयन का मामला सरकार के पास लाम्बित रहा लेकिन जैसे ही स्थितियां बदली उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी, 2012 को एक शासनादेश बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में जारी करते हुए प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अधिकार के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी, इस आदेश के आते ही पूरे प्रदेश में उत्साह की नई लहर पैदा हो गयी और वर्षों से उपेक्षा का अनुभव कर रहे चिकित्सकों के मध्य नई लहर पैदा हुई और इलेक्ट्रो होम्योपैथी अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की तरह अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में आकर खड़ी हो गयी इसका श्रेय सिर्फ एक मात्र संस्था को जाता है जो प्रदेश में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 नाम से विख्यात है।

इस आदेश के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अधिकार पूर्वक कार्य करने का अधिकार प्राप्त हुआ तो चिकित्सकों का यह दायित्व भी बना कि वह भी वैधानिक रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां करें चिकित्सकों द्वारा पंजीयन का आवेदन प्रारम्भ किया गया परन्तु अधिकारियों द्वारा कहा गया कि जब तक हमारे सीधे अधिकारी अर्थात महानिदेशक का निर्देश हमें प्राप्त नहीं होता तब तक हमारे द्वारा कुछ भी सम्भव नहीं है। बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने इस विषय पर प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक से सम्पर्क किया और विषय के समाधान हेतु निवेदन किया 2 सितम्बर, 2013 को प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक द्वारा सभी अपर निदेशकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया कि 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुभाग– 6 द्वारा बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में जो शासनादेश जारी हुआ है उसका शासकीय आदेशानुसार क्रियान्वयन किया जाये साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक अपर निदेशक द्वारा अपने अधीन मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा इस आदेश का परिचालन सुनिश्चित कराया जाये।

इस आदेश से यह स्पष्ट हो चुका था कि पूरे प्रदेश में मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के पंजीयन के आवेदन स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी होते हैं उनकी मानसिकता आसानी से नहीं बदलती है, इस लिए स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। हमारे चिकित्सकों द्वारा भी इस क्षेत्र में ज़्यादा रूचि नहीं दिखायी गयी प्रारम्भ में तो लगा कि शायद यह चिकित्सकों के मध्य सूचना न पहुंचने का कारण हो सकता है और बहुत सम्भव है कि चिकित्सकों में जागरूकता का अभाव हो, चिकित्सकों तक सूचना पहुँचाने व जागरूकता का भाव जागाने के लिए बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा कई प्रयास किये गये, प्रदेश व्यापी चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चलाया गया परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही सही परन्तु चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय गये और कुछ चिकित्सकों द्वारा स्पीडपोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय को प्रेषित किये गये लेकिन जो अपेक्षायें हमें थीं उसके अनुरूप पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित नहीं किये गये।

> 14 मार्च, 2016 ! जारी हुआ पुनः आदेश
> काम करने का रास्ता हुआ और मज़बूत
> पंजीकरण के लिये रखें पूरी तैयारी
> धीरे–धीरे मज़बूत हो रही है स्थिति
> अब न कर सकेंगे इनकार C.M.O.

इसके कई कारण हैं पहला जो मुख्य कारण है वह यह है कि अभी भी चिकित्सकों के मन में जो जुझारू पन होना चाहिये उसका अभाव है साथ–साथ अधिकार तो पाना चाहते हैं लेकिन कर्तव्यों के प्रति समुचित रूप से जागरूक नहीं हैं इस जागरूक न होने के पीछे हमारे चिकित्सकों में मनोदशा है, कुछ चिकित्सक शायद भय के कारण मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें भय है कि कहीं यदि वह आवेदन कर देंगे तो उनका नाम मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां पहुँच जायेगा और उनके विरूद्ध कार्यवाही हो जायेगी वह शायद इस बात को भूल जाते हैं कि कार्यवाही उन्हीं के विरूद्ध होती है जो नियमानुसार कार्य नहीं करते, जो चिकित्सक पंजीयन में अभी भी रूचि नहीं दिखा रहे हैं यदि समय रहते हुए उन्होंने अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं किया और पंजीयन के लिए आवेदन नही किया, तो वह स्वतः झोलाछाप की श्रेणी में आ जाता है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ़ तो मान्यता की मांग की जाती है अधिकारों की मांग की जाती है दूसरी तरफ़ कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का प्रदर्शन किया जाता है ऐसी दोहरी नीति से कभी भी सफ़लता प्राप्त नहीं होती है सम्मान और सफ़लता के लिए यह आवश्यक है कि हमारे काम में विश्वसनियता व वैधानिकता का संगमन हो, वैधानिकता तभी सम्भव है जब चिकित्सक का पंजीयन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में हो। बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने इस दिशा में प्रारम्भ से ही पारदर्शी कार्य किया है यह हम स्वीकारते हैं कि कुछ अधिकारियों द्वारा अभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अपनी दृष्टि में परिवर्तन नहीं किया है लेकिन समय के साथ–साथ उन्हें अपनी सोच और कार्यशैली में परिवर्तन करना ही पड़ेगा।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे कि अधिकारियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही होगा। लेकिन यह काम तभी रंग लायेगा जब हमारे चिकित्सक भी पूरे मनोयोग के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों जागरूकता के बिना बहुत कार्य नहीं होते हैं, लेकिन जब जागरूकता के बावजूद भी चिकित्सकों द्वारा ही लापरवाही की जाती है तब स्थिति साम्य नहीं होती है स्थितियों को अनुरूप बनाने के लिए अभी भी समय है हर चिकित्सक को चाहिये अपने अधिकारों को समझे और उन अधिकारों को कर्तव्य के रूप में प्रपूर्ति करके वास्तविकता को जन्म दें । इसके लिए हमारे द्वारा तो प्रयास किये ही जा रहे है लेकिन यह आवश्यक है कि आप भी अपने स्तर से अपने दायित्वों का निर्वाहन करे चिकित्सकों की मनमानी रोकने के लिए हमने यह मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया और मामले की गम्भीरता को देखते हुए शासन ने इस मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक को आदेशित किया कि महानिदेशक शीर्ष ही विषय पर निर्णय लें कि प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक ने विषय की गम्भीरता को दिखते हुए और प्रदेश के हजारो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए 14 मार्च 2016 को एक नवीनतम आदेश जारी किया इस आदेश को इस बार

शेष अंतिम पेज पर

मज़बूती की ओर

कोई भी व्यक्ति या वस्तु तभी स्थायित्व पाती है जब वह मज़बूती के साथ आगे बढ़ती है और मज़बूती पाने के लिए आवश्यक होता है कि आधार मज़बूत हो ! जड़ हो या चेतन दोनों ही अवस्था में आधार की मज़बूती महत्वपूर्ण स्थान रखती है जड़ के रूप में एक उदाहरण बहुत सामान्य है वह यह है कि जब किसी भवन का निमार्ण करते हैं तो यह ध्यान रखते हैं कि उसका आधार कितना मज़बूत है ! मज़बूती का ध्यान इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि कोई भी भवन 5 – 10 साल के लिए नहीं निर्मित किया जाता है बल्कि यह विचार रखा जाता है कि कई पीढ़ियां इसमें निवास करेंगी जब जड़ वस्तु के लिए हम मज़बूती को प्राथमिकता देते हैं तो चेतन्य के लिए मज़बूती तो और भी ज़्यादा आवश्यक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चेतन्य की श्रेणी में आती है चूंकि यह एक चिकित्सा पद्धति है और इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से शरीर को व्याधियों से मुक्ति मिलती है शरीर चाहे मनुष्य का हो या जन्तु का दोनों ही सजीव की श्रेणी में आते हैं इनमें गति होती है संवदेना होती है और विवेक होता है जहां इन तीनो चीजों का संमिश्रण होता है वहां मज़बूती का आधार बहुत महत्व रखता है।

यदि चिकित्सा पद्धतियों का आधार मज़बूत नहीं होता है तो उनका कभी भी विकास नहीं हो पाता। वह जन्म तो लेती हैं परन्तु समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध न कर पाने के कारण स्वतः लुप्त हो जाती हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी लगभग 150 वर्षों से मज़बूती के साथ पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति दर्शा रही है जिन–जिन देशों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रयोग में लायी जा रही है वहां पर यह चिकित्सा पद्धति अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है हर एक देश में चिकित्सा पद्धतियों के संचालन के अपने–अपने नियम हैं और नियमों के अनुसार चिकित्सकों को व्यवहार करना पड़ता है भारत वर्ष में चिकित्सा पद्धतियों के लिए मान्यता और अधिकारिता की व्यवस्था है अधिकारिता मान्यता के पहले का सोपान है भारत वर्ष में धीरे–धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता की तरफ बढ़ रही है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है जहां संघीय व्यवस्था के साथ–साथ हर राज्यों के अपने अलग–अलग नियम हैं चूंकि हम सब भारत वर्ष देश के उत्तर प्रदेश के निवासी हैं इसलिए इस प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए हमें उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो प्रदेश सरकार द्वारा सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के लिए निर्धारित किये गये हैं उत्तर प्रदेश राज्य में वही चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है जो अपनी परिषद में पंजीयन के साथ–साथ जिस जनपद में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है उस जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अपने पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत कर चुका हो यह कोई सरकारी नियम नहीं है यह नियम सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्वीकार करना पड़ा है इसलिए जो चिकित्सक इस नियम का पालन नहीं करते न केवल नियम विरूद्ध कार्य कर रहे हैं बल्कि माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना भी कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार पूर्वक चिकित्सा पद्धति की श्रेणी में है इसलिए इस चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को चाहिये कि वह विधि सम्मत ढंग से प्रैक्टिस करने के लिए उसी तरह का व्यवहार करें जिस तरह का व्यवहार मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक करते हैं , 4 जनवरी , 2012 का शासनादेश जारी होते ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित हो गयी है।

इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक द्वारा 2 सितम्बर, 2013 में एक आदेश सभी अपर निदेशकों को दिया था परन्तु संयोगवश इस आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया इस आदेश के अनुपालन न होने में जितने दोषी हमारे अधिकारी हैं उससे कम दोषी हमारे चिकित्सक भी नहीं हैं हमारे बार–बार आवाहन करने के बावजूद भी चिकित्सकों द्वारा पंजीकरण आवेदन की दिशा में वह उत्साह नहीं दिखाया गया जो उन्हें दिखाना चाहिये।

फलस्वरूप वह सफ़लता नहीं मिली जो मिलनी चाहिये लेकिन हमारे प्रयास लगातार जारी हैं जिसका परिणाम 14 मार्च, 2016 के आदेश के रूप में है यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मज़बूती की तरफ़ आगे ले जा रहा है।

नये आदेश का अर्थ

अभी 14 मार्च, 2016 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है इस आदेश की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है और हर व्यक्ति अपने–अपने हिसाब से इस आदेश का अर्थ निकाल रहा है लेकिन वास्तविकता में वर्तमान परिस्थिति में एक ही तरह के आदेश का बार–बार जारी होना अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है यह आदेश इस बात का प्रमाण है कि धीरे–धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी मज़बूत से मज़बूत स्थिति को पहुँचती जा रही है। जब कोई नया आदेश आता है तो उसके बारे में हर व्यक्ति की अपनी राय होती है और वह उसे उसी के अनुसार निरूपित भी करता है यह बात ध्रुवसत्य है कि जिस विचार धारा से आप सोचेंगे परिणाम भी उसी के अनुसार निकलते हैं जिन लोगों को काम करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है वह कदाचित इन आदेशों के लिए सकारात्मक दृष्टि नहीं रखेंगे कुछ में कुछ मीन–मेख तो निकालते ही रहेंगे जो काम करने वाले हैं उन्हें इन सबसे ऊपर उठ कर कार्य करना होगा, वर्तमान आदेश इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सकारात्मक दृष्टि अपनाये है और आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए निश्चित रूप से कोई न कोई बहुत अच्छी घोषणा हो सकती है, प्रदेश में वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में पूरे अधिकार हैं और इन्ही अधिकारों का उपयोग करते हुए हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में लगातार आगे बढ़ रहे हैं लेकिन प्राप्त अधिकारों का वास्तविक आनन्द हमारे चिकित्सक तभी उठा सकते हैं जब वह अपने अधिकारों को समझते हुए कर्तव्य पथ पर डटे रहें लेकिन विडम्बना यह है कि आज कर्तव्यों के प्रति लोग जागरूक कम हैं जबकि अधिकारों के प्रति सचेत। दोनों में समानता से ही लाभ की कामना की जा सकती है हम सिर्फ़ अधिकारों की मांग तो करें लेकिन जब कर्तव्यों की बात आये तो मुहँ मोड़ लें ऐसे में किसी अच्छे सुखद भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती! यह सर्वविदित है कि प्रदेश में दो तरह की संस्थायें हैं पहली अधिकार प्राप्त व दूसरी अधिकार के लिए अभी भी संघर्षरत ! जिन संस्थाओं को अभी तक अधिकार नहीं मिला है या अधिकार पाने के लिए संघर्षरत हैं वह हमे प्राप्त अधिकारों का गलत अर्थ निकाल कर चिकित्सकों को भ्रमित करते हैं लेकिन यह भ्रम कब तक चलेगा ? यह भ्रम फैलाने वाले स्वयं जानते हैं लेकिन क्या करें ! अपने आप को खेल में बनाये रखने के लिए शह और मात का खेल खेलते रहते हैं।जब हम गज़ट के माध्यम से खुले आम कहते हैं कि सम्पूर्ण प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में कोई बाधा नहीं है और स्वतन्त्रता से काम करने का हक है और तब यह लोग यह कुतर्क देते हैं कि जब तक प्रदेश में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश कटता नहीं है तब तक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं किया जा सकता है, यद्यपि यह बात दबी ज़बान से कहते हैं लेकिन कहीं न कहीं लोगों में भ्रम तो पैदा कर ही देते हैं जो इस तरह की बातें फैलाते हैं उन्हें इस विषय पर गम्भीर चिन्तन करना चाहिये कि शासन का एक ही विभाग अन्य संस्थाओं के लिए बन्दी का आदेश देता है और वही विभाग बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को लगातार अधिकारिता के आदेश जारी कर रहा है यहां हम यह लिखकर अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा योग्य और अधिकारी हम ही हैं, बल्कि हम यह बताना चाहते हैं कि प्रदेश क्या पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य किया जा सकता है बशर्ते जो जिस राज्य में कार्य करना चाहता है उसे उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करना ही होगा, बिना कानूनों का पालन किये हुए अधिकारितापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है यह तो उसी तरह की बात हुई कि हम कानून का पालन भी नहीं करेंगे और कार्य भी करेंगे, अपनी बात को बल देने के लिए एक भोंडा सा उदाहरण देते हैं कि मैंने जीवन में कभी ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं बनवाया जीवन भर गाड़ी चलायी किसी ने पकड़ा भी नहीं यह उनका भाग्य है कि जो इस तरह की बातें करते हैं लेकिन उनके हृदय से पूछिये कि क्या कभी उन्होंने अधिकारिता पूर्वक बिना भय के गाड़ी चलायी थी ?उत्तर प्रदेश में यह बात लागू है जिसे हम बार–बार हम लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदाता संस्थाओं को शासन के चिकित्सा विभाग में पंजीयन का आवेदन करना है और चिकित्सकों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां, जब यह बात कानून के रूप में हमारे सामने है तो इसका पालन हमें ही करना होगा यदि हम इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से न केवल हम कार्य करके अनाधिकार चेष्टा करते हैं बल्कि माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना भी करते है इसलिए नियमानुसार ही कार्य करना चाहिये, लगातार आ रहे आदेश हम सबके अन्दर उत्साह का नया भाव भर रहे हैं यह उत्साह एक दिन सफ़लता के उस चरम पर अवश्य पहुँचेगा जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रतीक्षा से हम अच्छे परिणामों की अपेक्षा भी करते हैं लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि परिणामों के लिए अच्छे प्रबन्धन की आवश्यकता है प्रबन्धन और परिणामों का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है जैसा प्रबन्धन होता है उसके ही अनुरूप परिणाम की अपेक्षा रखनी चाहिये, यदि हम वास्वत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विकास में गति देना चाहते हैं तो हमें अधिकारपूर्वक कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाहन भी करना होगा लोगों को जो कहना होगा वह कहते ही रहेंगे, आपको ध्यान होगा कि 25 नवम्बर, 2003 का आदेश जब आया था सभी लोगों ने इसे बन्दी का आदेश कहा था लेकिन आगे चलकर यही आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जीवन दायिनी बना। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 25 नवम्बर, 2003 के आदेश को कटवाना है, वह इस बात को भूल जाते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार में बैठे हुए अधिकारी बहुत गम्भीर मंथन के बाद और हर दृष्टिकोंण नाप जोख कर ही कोई आदेश या निर्देश जारी करते हैं।

आज की तिथि में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जितने आदेश जारी हो रहे हैं वह आदेश 25 नवम्बर, 2003 के आदेश को ही प्रमुखता देते हैं और यदि देश में काम करना है तो 25 नवम्बर, 2003 के आदेश को नकार नहीं सकते हैं। जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसका आधार है 25 नवम्बर, 2003

मान्यता मिलने तक
21 जून व 4 जनवरी ही चलेगा

आज कल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सिर्फ़ दो बिन्दुओं पर ही चर्चा हो रही है, पहला बिन्दु है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता, दूसरा बिन्दु है 21 जून, 2011 का आदेश दोनों बिन्दुओं पर चर्चा होनी ही चाहिये चूँकि जब चर्चा होती है तभी नई दिशा मिलती है और सफ़लता की नई राह खुलती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिलेगी इसमें दो राय नहीं है लेकिन मान्यता कब तक मिलेगी ? इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है यह सब सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है मान्यता कब देती है और किस स्तर की देती है मान्यता के इंतेज़ार में हम काम न करें यह कहाँ की बुद्धिमानी होगी ? सरकार द्वारा मान्यता के पहले की राह बना दी गयी है और वह राह है भारत सरकार का 21 जून, 2011 का आदेश।

यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी को राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार प्रदान करता है तथा 4 जनवरी, 2012 का आदेश उत्तर प्रदेश में कार्य करने का पूरा अधिकार प्रदान करता है।

कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि 4 जनवरी, 2012 का राग कब तक अलापा जायेगा ? तो उनको यह जान लेना चाहिये कि मान्यता मिलने और कानून बनने तक प्राप्त अधिकारों के आधार पर ही कार्य करते हुए अपनी स्थिति मज़बूत से मज़बूत्तर बनानी होती है। जब आधार मज़बूत होता है तो भवन भी बहुत मज़बूत बनता है, हम लगातार मज़बूती से आगे बढ़ रहे हैं जो आदेश ताकत देता है उसका बखान करना ही चाहिये इसमें सन्देह के लिए कोई स्थान नहीं है अगर कोई हमसे पूछता है...

आजकल क्या चल रहा है जवाब है 21 जून एवं 4 जनवरी चल रहा है।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0
अपना 42 वाँ स्थापना दिवस समारोह
दिनांक – 25 अप्रैल, 2016 दिन – सोमवार
समय – पूर्वाह 11 बजे
स्थान – गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल, अमीनाबाद, लखनऊ
में
धूम–धाम से मना रहा है
इस अवसर पर
सभी छात्र व चिकित्सकगण
अपने इष्ट मित्रों सहित
उपस्थित होकर
कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करें
निवेदक
मो0 हाशिम इदरीसी
चेयरमैन
एवं
डा0 के0सी0सिंघल,डा0 ओम शंकर मिश्रा, डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई, डा0 राजेन्द्र प्रसाद डा0 प्रताप नारायण कुशवाहा,डा0एस0के0सक्सेना डा0 अयाज़अहमद व डा0 संजय कुमार द्विवेदी
सदस्यगण प्रबन्ध कमेटी

बोर्ड की मीटिंग में उपस्थित सम्मानित प्रिंसपल एवं संचालकगण

1 बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0एच0इदरीसी, इन्सटीट्यूट संचालकों को सम्बोधित करते हुये। छाया गज़ट

2 डा0 अम्मार बिन साबिर (शाहजहांपुर) खड़े हुये, श्रीमती मौर्या (जौनपुर) डा0 एम0ए0इदरीसी (प्रतापगढ़), बगल में डा0 पी0एन0कुशवाहा (रायबरेली) आदि छाया गज़ट

3 डा0 मुशताक़ अहमद (आज़मगढ़), डा0 पी0 के0 मौर्या (जौनपुर)एवं डा0 अयाज अहमद (वलीदपुर– मऊ) छाया गज़ट

4 मिटिंग में उपस्थित अन्य संस्था प्रमुखों के बीच में डा0 आर0 के0 कपूर (लखनऊ) गहरी सोच में। छाया गज़ट

चिकित्सा महानिदेशक द्वारा जारी 14 मार्च, 2016 का आदेश

पैंजीकृत/ ई0मेल

प्रेषक,
महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर सेवा में,

सेवा में
समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश

संख्या–11फ/इलेक्ट्रो0/2016/1786 दिनाक 14-3-16
विषय– बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या–अभि0दर्श/2013 दिनाक 2–09–2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

उक्त के कम में पुनः अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप शासनादेश संख्या–2914/पाँच–6–23रिट/11 दिनाक 4 जनवरी 2012 एवं भारत सरकार मन्त्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–आर0–140/5/25/96–यू0एण्ड एच0(आर0)/(पीटी) दिनाक 25नवम्बर 2003 पर विभिन्न संस्थानों ने कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया ।

अतएव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप शासनादेश संख्या–2914/पाँच–6–23रिट/11 दिनाक 4 जनवरी 2012 एवं भारत सरकार मन्त्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–आर0–140/5/25/96–यू0एण्ड एच0(आर0)/(पीटी) दिनाक 25नवम्बर 2003 की प्रति प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि उपरोक्त संदर्भित पत्रों मे निहित निर्देशानुसार नियमानुसार अनुपालन/आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

निदेशक(चिकित्सा उपचार)

संख्या–11फ/इलेक्ट्रो0/2016/ तद्दिनाक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1– उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 ।
2– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3– गार्ड फाईल

निदेशक(चिकित्सा उपचार)

पंजीकृत/महत्वपूर्ण

प्रेषक,
महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0
लखनऊ

सेवा में,
समस्त अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश

पत्र सं0– अभि0दर्श0/2013/ 2-9-2013 लखनऊ दिनांक ~~30 अगस्त~~ 2013

विषयः बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप सं0– 2914/पाँच–6–10–23–रिट/11 दिनांक 04.01.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसकी प्रति अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप की छाया प्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि इसे अपने मण्डल के समस्त जनपदो के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने स्तर से परिचालित करा दे तथा शासकीय आदेशानुसार कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय

संयुक्त निदेशक
(अभिलेख दर्शन)

पत्र सं0– अभि0दर्श0/2013/2400–04 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक प्रशासन चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. मोहम्मद हाशिम इदरिसी चेयरमैन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 टंडन मार्केट, 8 लालबाग, लखनऊ प्र0शा0 कार्यालय–127/204, 'एस' जूही कानपुर।

संयुक्त निदेशक
(अभिलेख दर्शन)

C.M.O.कार्यालय तक पहुँचा आदेश

प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक द्वारा 14 मार्च, 2016 को बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिये जो आदेश जारी किया गया है उसकी वास्तविक प्रति प्रकाशित है, आपको जानकारी होनी चाहिये कि 04 जनवरी, 212 के आदेश के अनुपालन के लिये 02 सितम्बर, 2013 को चिकित्सा महानिदेशक ने सभी अपर निदेशकों को आदेशित किया था कि वे अपने अधीन सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आदेश का अनुपालन शासकीय आदेशानुसार परिचालित करवायें परन्तु लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद किसी भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरफ़ सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया तब बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 ने शासन में अपनी समस्या रखी। शासन के निर्देश पर प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक द्वारा 14 मार्च, 2016 को पुनः आदेश जारी कर इस आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है, इस बार यह आदेश इसलिये भी महत्वपूर्ण है चूँकि यह आदेश महानिदेशालय द्वारा सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। प्राप्त जानकारी के आधार पर सभी सी0एम0ओ0 को यह आदेश प्राप्त भी हो गया है।

चिकित्सा महानिदेशक द्वारा ... .

प्रथम पेज से आगे

सीधे मुख्य चिकित्साधिकारी के नाम जारी करते हुए आदेशित किया गया है कि 4 जनवरी 2012 के आदेश का क्रियान्वयन 25 नवम्बर 2003 के आदेश के आलोक में रखते हुए सन्दर्भित पत्रों में निहित निर्देशानुसार नियमानुसार अनुपालन/आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। सम्भवतः यह आदेश मान्यता के पहले का अन्तिम आदेश होगा ऐसा हमारा मानना है और व्यक्ति जो सोचता है वैसा होता भी है यह एक सामुहिक प्रयास है जितने समपर्ण की साथ हम लगे रहे उतना ही समपर्ण हमें चिकित्सकों से अपेक्षित है। 14 मार्च 2016 का आदेश ऐतिहासिक श्रेणी में आता है यह आदेश क्रियान्वयन होने के लिए ही है ऐसा निश्चित है चिकित्सकों को चाहिये कि अधिक से अधिक संख्या में अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रेषित करें क्योंकि जितनी संख्या होती है उतनी ही ज्यादा कार्य करवाने की इच्छा बलवती होती है उदासीनता से कोई काम नहीं बनने वाला है। अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सकों का समर्थन इस आदेश को नई ऊचाई देगा क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी नित नये पावदान पर आगे बढ़ रहीं है ज्यों ज्यों शासकीय गतिविधियां बढ़ती जायेगी त्यों त्यों चिकित्सकों के कर्तव्य भी बढ़ते जायेंगे और जो चिकित्सक कर्तव्य से विरत रहेंगे उनका भविष्य क्या होगा यह तो वही जानते है आदेश कितने भी आवें लेकिन आदेशो का आनन्द वहीं उठा पाता है जो वैधानिक रूप से कार्य करता है। जो चिकित्सक आज अपने पंजीयन के आवेदन से कतरा रहे है उनको यह सोचना चाहिये कि कल जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल जायेगी तब भी वह पंजीयन से कतरायेंगे। प्रदेश में कार्य करने के लिए जो नियम और कानून प्रचलित है उनका तो पालन करना ही होगा यदि आप उन कानूनो का पालन नहीं करते है तो न तो आप विधिक रूप से कार्य करने के अधिकारी होंगे और न ही किसी लाभ पाने के अधिकारी अस्तु चिकित्सकों को शान्त भाव से हर विषय पर गम्भीरता से चिन्तन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा अब कर्तव्यों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए निश्चित दिशा बन रही है और धीरे धीरे यह अन्तिम दिशा की तरफ जा रही है लेकिन अन्तिम स्थिति तक पहुचने में अभी भी कुछ पड़ाव बाकी है जिने सफलतापूर्वक हम पार कर लेंगे ऐसी हमारी कामना ही नहीं है वरन् विश्वास भी है हम आत्म विश्वास से लबरेज इस लिए रहते है चूंकि हमें अपनी कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा है और इसी कार्यप्रणाली के कारण लगातार आगे बढ़ रहे है। तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की जो प्रतिज्ञा हमने ली थी वह पूरी होती दिख रही है और इसी पूर्णता के लिए हम सतत प्रयासशील है लेकिन जितना प्रयास हम कर रहे है उसका यदि आधा हिस्सा भी हमें चिकित्सकों का प्राप्त हो जाये तो जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसकी प्राप्ति में जरा भी सन्देह नहीं है। 14 मार्च 2016 का आदेश पंजीयकरण की दिशा में निणायक भूमिका का निर्वाहन करेगा और यही आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी को न केवल दिशा देगा बल्कि मील का पत्थर भी साबित होगा।